राजकीय स्नातक महाविद्यालय सोलन, के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2012 से 03/2016

भाग-1

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः-

राजकीय महाविद्यालय सोलन, जिला सोलन के निधि लेखों से सम्बंधित गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान की गई तथा महाविद्यालय प्रशासन द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनिर्णीत पैरों पर कृत कार्यवाही के उपरान्त महाविद्यालय के शेष अनिर्णीत पैरों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैः-

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/76 से 3/83

1	पैरा-3 (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा-6 (6)	अनिर्णीत
3	पैरा-6 (8) (9)	अनिर्णीत
4	पैरा-6 (10)	अनिर्णीत
5	पैरा-6 (12)	अनिर्णीत
6	पैरा-6 (14)	अनिर्णीत
7	पैरा-6 (15)	अनिर्णीत
8	पैरा-6 (16)	अनिर्णीत
9	पैरा-6 (18)	अनिर्णीत
10	पैरा-6 (20)	अनिर्णीत
11	पैरा-6 (21)	अनिर्णीत

12	पैरा-6 (23)	अनिर्णीत
13	पैरा-6 (24)	अनिर्णीत
14	पैरा-6 (25)	अनिर्णीत
15	पैरा-6 (26)	अनिर्णीत
16	पैरा-6 (30)	अनिर्णीत
17	पैरा-6 (32)	अनिर्णीत
18	पैरा-6 (34)	अनिर्णीत
19	पैरा-6 (36)	अनिर्णीत
20	पैरा-6 (38)	अनिर्णीत
21	पैरा-6 (39)	अनिर्णीत
22	पैरा-6 (40)	अनिर्णीत
23	पैरा-7 (ए)	अनिर्णीत
24	पैरा-7 (बी)	अनिर्णीत
25	पैरा-9 (ए)	अनिर्णीत
26	पैरा-9 (बी)	अनिर्णीत
27	पैरा-9 (सी)	अनिर्णीत
28	पैरा-9 (डी)	अनिर्णीत
29	पैरा-9 (ई)	अनिर्णीत
30	पैरा-11 (बी)	अनिर्णीत
31	पैरा-12	अनिर्णीत

32	पैरा-13	अनिर्णीत
33	पैरा-14 (ए)(सी)	अनिर्णीत
34	पैरा-16 (ए)	अनिर्णीत
35	पैरा-16 (सी)	अनिर्णीत
36	पैरा-16 (डी)	अनिर्णीत
37	पैरा-16 (ई)	अनिर्णीत
38	पैरा-16 (जे)	अनिर्णीत
39	पैरा-16 (के)	अनिर्णीत
40	पैरा-18	अनिर्णीत
41	पैरा-20	अनिर्णीत
42	पैरा-21	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/85

1	पैरा-6	अनिर्णीत
2	पैरा-7	अनिर्णीत
3	पैरा-8	अनिर्णीत
4	पैरा-9	अनिर्णीत
5	पैरा-10	अनिर्णीत
6	पैरा-11	अनिर्णीत
7	पैरा-12	अनिर्णीत
8	पैरा-13	अनिर्णीत
9	पैरा-14 (बी) से 14 (जी)	अनिर्णीत

10	पैरा-15 (ए) से (एफ)	अनिर्णीत
11	पैरा-16 (ए)	अनिर्णीत
12	पैरा-16 (बी)	अनिर्णीत
13	पैरा-17	अनिर्णीत
14	पैरा-18	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/88

1	पैरा-3	अनिर्णीत
2	पैरा-4	अनिर्णीत
3	पैरा-5 (बी) (डी)	अनिर्णीत
4	पैरा-5 (एच)	अनिर्णीत
5	पैरा-5 (जे) (1 से 5)	अनिर्णीत
6	पैरा-5 (के) (एल)	अनिर्णीत
7	पैरा-5 (एम)	अनिर्णीत
8	पैरा-5 (ओ)	अनिर्णीत
9	पैरा-5 (पी)	अनिर्णीत
10	पैरा-5 (क्यू)	अनिर्णीत
11	पैरा-5 (आर) (1 से 4)	अनिर्णीत
12	पैरा-5 (एस)	अनिर्णीत
13	पैरा-5 (यू)	अनिर्णीत
14	पैरा-5 (वी)	अनिर्णीत

15	पैरा-5 (डब्लयू)	अनिर्णीत
16	पैरा-5 (वाई)	अनिर्णीत
17	पैरा-6 (बी)	अनिर्णीत
18	पैरा-6 (सी)	अनिर्णीत
19	पैरा-7 (ए)	अनिर्णीत
20	पैरा-7 (बी)	अनिर्णीत
21	पैरा-8 (ए)	अनिर्णीत
22	पैरा-8 (बी)	अनिर्णीत
23	पैरा-9 (ए) (1 से 2)	अनिर्णीत
24	पैरा-9 (बी)	अनिर्णीत
25	पैरा-9 (सी)	अनिर्णीत
26	पैरा-9 (डी)	अनिर्णीत
27	पैरा-9 (एफ)	अनिर्णीत
28	पैरा-10 (बी)	अनिर्णीत
29	पैरा-10 (सी)	अनिर्णीत
30	पैरा-10 (डी)	अनिर्णीत
31	पैरा-10 (ई)	अनिर्णीत
32	पैरा-10 (एच) (मद सं0 2 व 3 के अतिरिक्त)	अनिर्णीत
33	पैरा-11 (ए)	अनिर्णीत

34	पैरा-11 (बी)	अनिर्णीत
35	पैरा-11 (सी)	अनिर्णीत
36	पैरा-11 (डी)	अनिर्णीत
37	पैरा-11 (ई)	अनिर्णीत
38	पैरा-11 (जी)	अनिर्णीत
39	पैरा-12 (2) (2)	अनिर्णीत
40	पैरा-12 (2) (3)	अनिर्णीत
41	पैरा-12 (2) (5)	अनिर्णीत
42	पैरा-12 (2) (7)	अनिर्णीत
43	पैरा-12 (2) (8)	अनिर्णीत
44	पैरा-12 (2) (9)	अनिर्णीत
45	पैरा-12 (10)	अनिर्णीत
46	पैरा-12 (बी) (2)	अनिर्णीत
47	पैरा-12 (बी) (3)	अनिर्णीत
48	पैरा-12 (सी) (11 व 12)	अनिर्णीत
49	पैरा-12 (डी)	अनिर्णीत
50	पैरा-13 (ए)	अनिर्णीत
51	पैरा-13 (बी)	अनिर्णीत
52	पैरा-14 (ए) से 14 (एफ)	अनिर्णीत
53	पैरा-15 (ए) व (बी)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/91

1	पैरा-5 (घ)	अनिर्णीत
2	पैरा-6 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा-6 (घ) (ई)	अनिर्णीत
4	पैरा-6 (छ)	अनिर्णीत
5	पैरा-7 (क) (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा-8 (क)	अनिर्णीत
7	पैरा-8 (ग) व (घ)	अनिर्णीत
8	पैरा-8 (ङ) (1 से 2)	अनिर्णीत
9	पैरा-9 (च)	अनिर्णीत
10	पैरा-9 (ट)	अनिर्णीत
11	पैरा-9 (ठ) (2)	अनिर्णीत
12	पैरा-9 (ङ)	अनिर्णीत
13	पैरा-10 (क) (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा-10 (छ)	अनिर्णीत
15	पैरा-10 (झ)	अनिर्णीत
16	पैरा-10 (ठ)	अनिर्णीत
17	पैरा-10 (ढ)	अनिर्णीत
18	पैरा-10 (ज)	अनिर्णीत

19	पैरा-10 (ध) (द)	अनिर्णीत
20	पैरा-11 (क) व (ग)	अनिर्णीत
21	पैरा-11 (ङ)	अनिर्णीत
22	पैरा-12 (क)	अनिर्णीत
23	पैरा-12 (ख) से (ङ)	अनिर्णीत
24	पैरा-12 (च)	अनिर्णीत
25	पैरा-12 (छ)	अनिर्णीत
26	पैरा-12 (ज)	अनिर्णीत
27	पैरा-12 (झ)	अनिर्णीत
28	पैरा-12 (ट)	अनिर्णीत
29	पैरा-12 (ठ)	अनिर्णीत
30	पैरा-12 (ढ) (मद 3 के अतिरिक्त)	अनिर्णीत
31	पैरा-13 (क)	अनिर्णीत
32	पैरा-13 (ख)	अनिर्णीत
33	पैरा-14 (क)	अनिर्णीत
34	पैरा-15 (क) से (घ)	अनिर्णीत
35	पैरा-16 (क) से (ग)	अनिर्णीत
36	पैरा-16 (ङ) (च) (छ)	अनिर्णीत
37	पैरा-16 (ज) (1 से 3)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/94

1	पैरा-3	अनिर्णीत
2	पैरा-5	अनिर्णीत
3	पैरा-6	अनिर्णीत
4	पैरा-7	अनिर्णीत
5	पैरा-8	अनिर्णीत
6	पैरा-9	अनिर्णीत
7	पैरा-10	अनिर्णीत
8	पैरा-11	अनिर्णीत
9	पैरा-12	अनिर्णीत
10	पैरा-14	अनिर्णीत
11	पैरा-16	अनिर्णीत
12	पैरा-17	अनिर्णीत
13	पैरा-19	अनिर्णीत
14	पैरा-20	अनिर्णीत
15	पैरा-22	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/97

1	पैरा-4	अनिर्णीत
2	पैरा-5	अनिर्णीत
3	पैरा-6	अनिर्णीत
4	पैरा-8	अनिर्णीत

5	पैरा-9	अनिर्णीत
6	पैरा-10	अनिर्णीत
7	पैरा-12	अनिर्णीत
8	पैरा-13	अनिर्णीत
9	पैरा-14	अनिर्णीत
10	पैरा-15	अनिर्णीत
11	पैरा-16	अनिर्णीत
12	पैरा-17	अनिर्णीत
13	पैरा-18	अनिर्णीत
14	पैरा-19	अनिर्णीत
15	पैरा-20	अनिर्णीत
16	पैरा-21	अनिर्णीत
17	पैरा-22	अनिर्णीत
18	पैरा-23	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/2004

1	पैरा-4	अनिर्णीत
2	पैरा-5 (ख से घ)	अनिर्णीत
3	पैरा-6	अनिर्णीत
4	पैरा-7	अनिर्णीत
5	पैरा-8	अनिर्णीत
6	पैरा-10	अनिर्णीत
7	पैरा-11	अनिर्णीत

8	पैरा-13	अनिर्णीत
9	पैरा-17	अनिर्णीत
10	पैरा-18	अनिर्णीत
11	पैरा-19	अनिर्णीत
12	पैरा-20	अनिर्णीत
13	पैरा-26 (ख, ग)	अनिर्णीत
14	पैरा-27 (क)	अनिर्णीत
15	पैरा-28	अनिर्णीत
16	पैरा-29	अनिर्णीत
17	पैरा-30	अनिर्णीत
18	पैरा-31 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
19	पैरा-34	अनिर्णीत
20	पैरा-35	अनिर्णीत
21	पैरा-36	अनिर्णीत
22	पैरा-39	अनिर्णीत
23	पैरा-40	अनिर्णीत
24	पैरा-45	अनिर्णीत
25	पैरा-46	अनिर्णीत
26	पैरा-48	अनिर्णीत
27	पैरा-50	अनिर्णीत
28	पैरा-59	अनिर्णीत
29	पैरा-63	अनिर्णीत
30	पैरा-64	अनिर्णीत

31	पैरा-65	अनिर्णीत
32	पैरा-67	अनिर्णीत
33	पैरा-68	अनिर्णीत
34	पैरा-69	अनिर्णीत
35	पैरा-70	अनिर्णीत
36	पैरा-73	अनिर्णीत
37	पैरा-76	अनिर्णीत
38	पैरा-77	अनिर्णीत
39	पैरा-79	अनिर्णीत
40	पैरा-80	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2006

1	पैरा-3	अनिर्णीत
2	पैरा-4 (क) (1)	अनिर्णीत
3	पैरा-4 (क) (2)	अनिर्णीत
4	पैरा-8	अनिर्णीत
5	पैरा-9	अनिर्णीत
6	पैरा-10	अनिर्णीत
7	पैरा-11 (क)	अनिर्णीत
8	पैरा-11 (ख)	अनिर्णीत
9	पैरा-12	अनिर्णीत
10	पैरा-13	अनिर्णीत
11	पैरा-14 (क)	अनिर्णीत
12	पैरा-15	अनिर्णीत

13	पैरा-18	अनिर्णीत	
14	पैरा-20	अनिर्णीत	
15	पैरा-21	अनिर्णीत	
16	पैरा-23	अनिर्णीत	

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2012

1.	पैरा-3	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त)
2	पैरा-4 (क)	निर्णीत	(पैरा पुन: प्रारूपित किया गया)
3	पैरा-4 (ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा-5	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त)
5	पैरा-6	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त)
6	पैरा-7तथा 9	अनिर्णीत	(एक ही अनियमितता पर पेरा दो बार लिखा गया था)
7	पैरा-8	अनिर्णीत	
8	पैरा-9	अनिर्णीत	
9	पैरा-10	अनिर्णीत	
10	पैरा-11	अनिर्णीत	
11	पैरा-12	अनिर्णीत	
12	पैरा-13	अनिर्णीत	
13	पैरा-14	अनिर्णीत	
14	पैरा-15 अनिर्णीत		
15	पैरा-16	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त)
16	पैरा-17 अनिर्णीत		
17	पैरा-18 (क.ख,ग,घ,ड तथा च) अनिर्णीत		

18	पैरा-19 (क)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त)
19	पैरा-19 (ख तथा ग)	अनिर्णीत	
20	पैरा-20	अनिर्णीत	
21	पैरा-21 (क तथा ख)	अनिर्णीत	
22	पैरा-22	अनिर्णीत	
23	पैरा-23 (क.ख,ग,घ, तथा ङ)	अनिर्णीत	
24	पैरा-23 (च)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त)
25	पैरा-23 (छ,ज,झ)	अनिर्णीत	
26	पैरा-24	अनिर्णीत	
27	पैरा-25	अनिर्णीत	
28	पैरा-26 (क.ख,ग तथा घ)	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार

अवधि 3/14 तक अनिर्णीत पैरों की संख्या	263
वर्तमान अवधि के दौरान लगाए गए पैरों की संख्या	41
वर्तमान अवधि में निर्णीत किए गए पैरों की संख्या	7
अन्तशेष	297

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षणः-

राजकीय महाविद्यालय सोलन के अवधि 4/12 से 3/16 के निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में समाविष्ट है, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा राजकीय स्नातक महाविद्यालय सोलन, में किया गया। अंकेक्षण के दौरान आय की विस्तृत जांच हेतु माह 10/2012, 06/2013, 06/2014 तथा 06/2015 व व्यय हेतु माह 03/2013, 07/2013, 05/2014 तथा 09/2015 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शायें गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा महाविद्यालय प्रशासन द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने /अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर हो ने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

3 अंकेक्षण अवधि मे राजकीय स्नातक महाविद्यालय सोलन, में निम्नलिखित प्रधानाचार्य (परिशिष्ट- "ख" के अनुसार) आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत्त रहेः-

क्रमांक	प्रधानाचार्य का नाम	अवधि
1.	श्री मती मंजुशा पठानिया	01/04/12 से 01/06/12
2.	डा० डी धरेला (कार्यवाहक)	02/06/12 से 29/07/12
3.	श्री मती रीना तंवर	30/07/12 से 12/07/14
4.	डा०शशी कुमार सूद	21/07/14 से 31/10/15
5.	श्री अनुपम भल्ला (कार्यवाहक)	01/11/15 से 28/03/16
6	डा० डी धरेला	29/03/16 से लगातार

4 अंकेक्षण शुल्क:-

राजकीय महावि द्यालय सोलन, के लेखाओं अवधि 04/12 से 03/16 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹32000/- बनता है। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) के पत्र संख्या 49 दिनांक 30/12/16 द्वारा प्रधानाचार्य से उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को भेजने हेतु अनुरोध किया गया था।

वर्ष	निधियों से आय (₹)	अंकेक्षण शुल्क (₹)
2012-13	7408035+2547822	8000.00
2013-14	6536594+355132	8000.00
2014-15	9035515+3189626	8000.00
2015-16	8400209+3315610	8000.00
	कुल योग	**32000.00**

5 वित्तीय स्थिति:-

महावि द्यालय की अवधि 04/12 से 03/16 की छात्र निधि लेखाओं की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट " "क" "के अनुसार निम्नलिखित थी।

वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान आय (₹)	वर्ष के दौरान ब्याज से आय (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2012-13	21055178.59	7408035.00	2547822.00 [2254493+293329]	31011035.59	5467411.00	25543624.59
2013-14	25543624.59	6536594.00	355132 [nil+ 355132]	32435350.59	4816999.00	27618351.59
2014-15	27618351.59	9035515.00	3189626 [2723240+ 466386]	39843492.59	6282502.00	33560990.59
2015-16	33560990.59	8400209.00	3315610 [2677700+ 637910]	45276809.59	4647183.00	40629626.59

दिनांक 31/03/16 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष =40629626.59-----(1)

दिनांक 31/03/16 को बैंक खातों तथा सावधि निवेश के अनुसार शेष

बैंक खातें **(परिशिष्ट "क")=** 18754832.59-----(2)

सावधि निवेश **(परीशिष्ट "क")** =21897933.00-----(3)

कुल योग (2+3) = 40652765.59---------(4)

दिनांक 31/03/16 को वित्तीय स्थिति तथा बैंक एवं सावधि निवेशों के शेषों में अंतर 23139.00---(4-3)

₹23139.00 अंतर के कारण बैंक समाधान विवरणी **(परिशिष्ट "क")** पर परिलक्षित है।

6 सावधि निवेश:-

वितीय कुप्रबन्धन के कारण ₹9.02 लाख के अतिरिक्त ब्याज की हानि:-

महावि द्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "क")** के अवलोकन उपरान्त पाया गया कि महावि द्यालय के बचत खातों में लाखों की राशि बिना उचित निवेश के पड़ी थी। यदि इस राशि को समय-2 पर उचित वितीय प्रबन्धन करते हुए सावधि जमा में निवेश किया जाता तो इससे महाविधयालय को अतिरिक्त ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती। अंकेक्षणाधीन अवधि में अतिरिक्त ब्याज की हुई हानि ₹901655/- का आंकलन नीचे दिया गया है। अगर वर्ष के अन्तिम शेषों के औसतन 75 प्रतिशत भाग को जरूरत अनुसार सावधि जमा में निवेशित किया गया होता तो उक्त अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्त की जा सकती थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि महाविद्यालय में एकत्रित अधिकतम राशि को उचित भागों में बांटकर सावधि जमा में निवेश किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी एक सावधि जमा निवेश को समय पर पूर्व भुनाया जा सके तथा अन्य निवेशों पर नियमित रूप से अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्त हो सके।

क्र0सं0	वर्ष	31 मार्च को अन्तिम शेष (₹)	75 प्रतिशत राशि जो सावधि जमा निवेश में की जा सकती थी (₹) (लगभग)	जितनी राशि सावधि जमा में निवेश की गई थी	जितनी राशी कम निवेश की गई थी (₹)	5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से प्राप्त होने वाली आय की हानि (₹) (लगभग)
1.	2012-13	25543624.59	19157718.00	18181576.00	976142.00	48807.00
2.	2013-14	27618351.59	20713764.00	18181576.00	2532188.00	126609.00
3.	2014-15	33560990.59	25170743.00	19220233.00	5950510.00	297525.00
4.	2015-16	40629626.59	30472220.00	21897933.00	8574287.00	428714.00
					कुल योग	**901655.00**

7 रोकड़ बही:-

निधियों से सम्बन्धित रोकड़ बहियों में प्रविष्टियों का सत्यापन न किये जाने बारे:-

निधियों से सम्बन्धित रोकड बहीयों की पडताल के दौरान पाया गया कि रोकड बहीयों में प्रविष्टियों एवं शेषों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित रूप से सत्यापन नहीं किया जा रहा था जोकि अनियमित है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में इनकी की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्यां	रोकड़ बही का शीर्ष	अवधि	पृष्ठ संख्यां	टिप्पणी
1	विज्ञान निधि	06/12	203 से 204	रोकड़ बही में शेषों का सत्यापन नही किया गया था
2	छात्र सहायता निधि	06/12	159	यथोपरि
3	गृह परीक्षा निधि	11/16 से 03/16	101 से 105	यथोपरि
4.	स्काउट एंड गाइड निधि	12/15	41	यथोपरि
6.	कम्प्यूटर फंड	02/16	134	यथोपरि
7.	एन सी सी	11/15	63 से 66	यथोपरि
8.	स्पोर्ट्स फंड	11/15 से 03/16	48 से 54	यथोपरि

8 रसीद बुकों के उपयोग में हो रही अनियमितताओं बारे:-

महावि द्यालय द्वारा विभिन्न निधियों से प्राप्त आय की पड़ताल के दौरान महावि द्यालय के रसीद बुकस के उपयोग में हो रही विभिन्न अनियमितताएं निम्न प्रकार से पाई गई:-

(i) मुद्रित रसीदों के स्थान पर अनाधिकृत रूप से कम्पयूटर द्वारा रसीदें जारी करनाः-

विभिन्न निधियों की प्राप्तियों की जांच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय ने 04/12 से 03/16 तक शुल्क एवं छात्र निधियों की प्राप्ति हेतु मुद्रित रसीदों की जगह सीधे कम्पयूटर द्वारा रसीद जारी की गई है। प्रक्रियानुसार /नियमानुसार मुद्रित रसीदों को जारी करने से पहले सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है जबकि कम्पयूटरीकृत रसीदों के मामले में जारी की गई रसीदों को किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत /सत्यापित नहीं किया गया था क्योंकि उपरोक्त अपनाई गई प्रक्रियानुसार यह सम्भव ही नहीं था। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कम्पयूटरीकृत रसीदों को अधिकृत नहीं माना जा सकता क्योंकि इन्हें सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अपने स्तर पर ही जारी किया गया। यहां यह भी कहना उचित होगा कि इस प्रक्रिया को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। महाविद्यालय द्वारा निधियों की प्राप्ति हेतु अपनाई गई प्रक्रिया /प्रोग्राम का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से न करवाया जाना तथा नई प्रक्रिया को अपने स्तर पर ही लागू कर दिया जाना अनियमित ही नहीं आपत्तिजनक भी है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। महाविद्यालय को गत अंकेक्षण में भी इस अनियमितता से अवगत करवाया गया था परन्तु इसके बावजूद अभी तक इस बारे अपेक्षित कार्यवाही नही की गई थी यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

(ii) कम्पयूटर द्वारा जारी रसीदों का रद्द करने का सत्यापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा न किया जाना:-

कम्पयूटर द्वारा जारी रसीदों के माध्यम से विभिन्न छात्र निधियों की प्राप्ति की जांच करने पर पाया गया कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा रद्द की गई रसीदों का सत्यापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है जिस कारण यह स्पष्ट नहीं होता कि इन नम्बरों के अन्तर्गत छात्र निधियों की राशि प्राप्त की गई है अथवा नहीं क्योंकि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा रसीदों को अपने स्तर पर ही जारी किया जा रहा था। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न वर्णित है। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट की जाए। यह मामला उचित छानबीन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

वर्ष	रसीद संख्यां	दिनांक	राशि
2014-15	4025	26/06/14	1195/-
	3740	26/06/14	शून्य
	3766	26/06/14	1705/-
	3773	26/06/14	शून्य

9 रसीद भंडारण रजिस्टर को प्रस्तुत न करने बारेः-

महावि द्यालय द्वारा छात्रो से शुल्क इत्यादि एकत्रित करने हेतु प्रयोग में लाई जा रही रसीद बुकों के रजिस्टर को लिखित तथा कई बार मौखिक आग्रह करने के बावजूद अंकेक्षण में अपेक्षित पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस से यह प्रतीत होता है की संस्थान द्वारा उक्त स्टाक रजिस्टर का रख रखाव ही नही किया जा रहा है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में रसीद बुकों के प्रारम्भिक शेष, उपयोग की गई रसीदें तथा अन्तिम शेष को सत्यापित नहीं किया जा सका। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में इस अनियमितता को महाविद्यालय के ध्यान में लाये जाने के बावजूद अभी तक इस बारे अपेक्षित कार्यवाही नही की गई थी जो स्पष्ट रूप से महाविद्यालय प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। अतः उक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब तक उपयोग की गई व शेष पड़ी रसीद बुकों का स्टाक रजिस्टर तैयार करके इसे सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवा के कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

10 निधि संग्रह रजिस्टर के रख रखाव बारे:-

महावि द्यालय द्वारा निधि संग्रह रजिस्टर का रख रखाव उचित रूप से नहीं किया जा रहा है। निधि संग्रह रजिस्टर के पृष्ठों पर न तो पृष्ठ संख्यां अंकित की जा रही थी तथा न ही रजिस्टर में इनमें संलग्न पृष्ठों की संख्यां का सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया जा रहा था। रजिस्टर में छात्र/छात्राओं के नाम की तथा कुछ अवधियों में उनके द्वारा अध्ययन हेतु लिए गए विषयों की प्रविष्टियाँ भी नहीं की गई थी। इस जानकारी के अभाव में निधि संग्रह रजिस्टर यह नहीं दर्शाते है कि छात्र/छात्राओं से उनके द्वारा चयन किये गए विषयों के आधार पर निधियों की तथा निर्देशानुसार शिक्षण शुल्क की वसूली की जा रही है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी निधि संग्रह रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया जा रहा है। अत: उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इनके बारे अपेक्षित कार्यवाही करके

कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

11 विभिन्न निधियों के अंतर्गत ₹3.09 लाख की कम वसूली करना:-

आय की पड़ताल तथा महावि द्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन के उपरान्त यह प्रतीत होता है कि महावि द्यालय द्वारा निम्नानुसार ₹309085 की कम वसूली की गई थी। अत: इस बारे महाविद्यालय प्रशासन अपने स्तर पर पड़ताल करके वस्तुस्थिति बारे अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा ₹309085 की उपयुक्त स्त्रोत से वसूली करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वित्त वर्ष	महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुचना के अनुसार छात्र/छात्राओं की संख्यां परिशिष्ट "ग"	फंड का शीर्ष	फण्ड का रेट	परिशिष्ट "क" के अनुसार वित्त वर्ष के दौरान निधियों के अंतर्गत प्राप्ति राशि (ब्याज की राशि छोड़ कर)	छात्र छात्राओं की संख्यां के अनुसार जितनी राशी वसूल की जानी अपेक्षित थी (छात्र /छात्राओं की संख्यां x फंड का रेट)	जितनी राशि कम प्राप्त की गई
2012-13	3261	भवन निधि	10/- मासिक	370594/-	391320/-	20726/-
		कल्चरल एक्टिविटी फण्ड	20/- वार्षिक	65200/-	65220/-	20/-
		फ़र्नीचर फंड	10/- वार्षिक	32600/-	32610/-	10/-
2014-15	3514	भवन निधि	10/- मासिक	405420/-	421680/-	16260/-
		कल्चरल एक्टिविटी फण्ड	20/- वार्षिक	69840/-	70280/-	440/-
		चिकित्सा निधि	6/-वार्षिक	20952/-	21084/-	132/-
		NCC	5/-वार्षिक	17460/-	17570/-	110/-
		स्पोर्ट्स फंड	20/- मासिक	591962/-	843360/-	251398/-
		छात्र सहायता निधि	2/-वार्षिक	6984/-	7028/-	44/-
		कैम्पस डिवेलपमेंट फंड	10/- वार्षिक	34920/-	35140/-	220/-

		बुक रिपलेसमेंट फण्ड	25/- वार्षिक	87300/-	87850/-	550/-
		फर्नीचर फंड	10/- वार्षिक	34920/-	35140/-	220/-
2015-16	3436	भवन निधि	10/- मासिक	399840/-	412320/-	12480/-
		गृह परीक्षा निधि	80/- वार्षिक	268405/-	274880/-	6475/-
					कुल योग	**309085/-**

12 विज्ञान निधि के अंतर्गत ₹1.45 लाख की कम वसूली करना:-

आय की पड़ताल तथा महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन के उपरान्त यह प्रतीत होता है कि महाविद्यालय द्वारा विज्ञान निधि के अंतर्गत निम्नानुसार ₹145145/- की कम वसूली की गई थी। अत: इस प्रकरण बारे महाविद्यालय प्रशासन अपने स्तर पर पड़ताल करके वस्तुस्थिति बारे अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा ₹145145/- की उपयुक्त स्त्रोत से वसूली करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

वर्ष	महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार विज्ञान प्रयोगिक के अंतर्गत छात्र / छात्राओं की संख्यां (परिशिष्ट "ड़"	विज्ञान निधि के अंतर्गत मु० 20/- र० प्रति मासिक की दर से केमिस्ट्री, फिजीक्स, बायोलोजी तथा जोलोजी प्रेक्टीकल में जितनी वसूली बनती थी	परिशिष्ट "क" के अनुसार वित्त वर्ष के दौरान विज्ञान निधि के अंतर्गत प्राप्त राशि (ब्याज की राशि छोड़ कर)	जितनी वसूली कम की गई थी
2012-13	332	318720/-[332x20x12x4]	272920/-	45800/-
2013-14	446	428160/- [446xx20x12x14]	328815/-	99345/-
			कुल योग	**145145/-**

13 ₹1.35 लाख की छात्रावास शुल्क की वसूली न करना:-

हि॰ प्र॰ सरकार के पत्र संख्या EDN-A-Kha(8)-1/2001 दिनांक 01/06/2010 द्वारा हिमाचल प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिये गए थे कि छात्रावास शुल्क ₹10/- प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष की दर से वसूली की जाए । आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा होस्टल फी की वसूली ही नही की जा रही थी। इस प्रकरण पर चर्चा के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि महाविद्यालय द्वारा प्रॉस्पेक्टस में निर्धारित दर के अनुसार केवल छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्रों से ही शुल्क/प्रतिभूति आदि की वसूली की जाती है। परन्तु उपरोक्त पत्र में दिए गये निर्देशों से यह प्रतीत होता है कि छात्रावास

शुल्क प्रत्येक छात्र/छात्रा से वसूल की जानी अपेक्षित थी। अत: इस बारे सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए और यदि स्पष्टीकरण के अनुसार छात्रावास शुल्क की वसूली की जानी अनिवार्य थी तो निम्नानुसार ₹135090/- की वसूली करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

वर्ष	महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार छात्र /छात्राओं की संख्यां परिशिष्ट संख्यां “”ग”	₹10/- प्रति वर्ष की दर से जितनी वसूली बनती थी ।
2012-13	3261	32610/-
2013-14	3298	32980/-
2014-15	3514	35140/-
2015-16	3436	34360/-
	कुल योग	**135090/-**

14 पहचान पत्र निधि (Identity card fund) के रूप में लगभग ₹1.35 लाख अनाधिकृत प्रकार से छात्रों से अधिक प्राप्त करनाः-

महाविद्यालय द्वारा छात्र निधियो की प्राप्त राशियों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में छात्रों से पहचान पत्र निधि के रूप में ₹20/- प्रतिछात्र की दर से प्राप्त की गई। जबकि हि॰ प्र॰ सरकार के पत्र संख्या EDN-A-Kha(8)-1/2001 दिनांक 01/06/2010 के निर्देशानुसार अनुसार पहचान पत्र निधि के अंतर्गत ₹10/- प्रति छात्र की दर से वसूली की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार निम्नानुसार ₹135090/- की अनाधिकृत रूप से अधिक वसूली की गई थी। अतः उक्त निधि की वसूली का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनाधिकृत रूप से अधिक प्राप्त किये गये ₹135090/- का नियमितिकरण सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके करवाया जाए।

वित्त वर्ष	परिशिष्ट “ग” के अनुसार छात्र/छात्राओं की संख्यां	अधिक की गई वसूली (छात्र/छात्राओं की संख्यांx 10/-)
2012-13	3261	32610/-
2013-14	3298	32980/-
2014-15	3514	35140/-
2015-16	3436	34360/-
	कुल योग	**135090/-**

15 गृह परीक्षा निधि की वसूली बारे:-

हि॰ प्र॰ सरकार के पत्र संख्या EDN-H(8)14/84-2012 दिनांक 23/12/2013 द्वारा हिमाचल प्रदेश के सभी महाविधालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिये गए थे कि गृह परीक्षा निधि

की वसूली ₹25/- वार्षिक के स्थान पर ₹40/- प्रति सिमेस्टर की दर से की जाए। आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान ₹161845/- **(परिशिष्ट "क")** की वसूली बिना ब्याज के की गई थी जबकि यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त पत्र के अनुसार वर्ष 2013-14 में ₹263840/- (40/-प्रति छिमाही x2 x3298 छात्र/छात्राएं)-र० की वसूली की जानी अपेक्षित थी तथा इस प्रकार ₹101995/- (263840-161845) की कम वसूली की गई थी। इस प्रकरण पर चर्चा के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त पत्र में निर्धारित दर के अनुसार आगामी वर्ष से की गई थी। अतः वर्ष 2013-14 के दौरान बड़े हुए शुल्क से वसूली करनी थी या नहीं इस बारे सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्पष्टीकरन प्राप्त करके तथा उसके अनुसार कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

16 विश्व विद्यालय चार्जिस बारे:-

(i) विश्वविद्यालय चार्जिज से सम्बन्धित लेखों में अनेक वर्षों से राशियाँ संकलित होकर दिनांक 31.3.2016 को ₹7.79 लाख की राशि निपटारे हेतु शेष पाए जानाः-

महाविद्यालय के विश्वविद्यालय चार्जिज से सम्बन्धित लेखों /रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 को ₹779028.99/- शेष थी। यह राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विश्वविद्यालय चार्जिज के रूप में अनेक वर्षों से संकलित हुई पाई गई। जांच करने पर यह पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा प्रवेश के आधार पर प्रत्येक छात्र से विश्वविद्यालय चार्जिज की प्राप्ति समय-2 पर निर्धारित दरो से की गई थी परन्तु विश्वविद्यालय को केवल उतनी ही राशि भेजी गई जितने छात्रों के फार्म अन्तिम रूप में भेजे गए अर्थात जिन छात्रों के फार्म किन्ही कारणवश विश्वविद्यालय को नहीं भेजे गए उनसे एकत्रित राशियों का संकलन महाविद्यालय में ही होता रहा तथा दिनांक 31.3.2016 तक इस प्रकार की ₹779028.99/- महाविद्यालय में शेष पड़ी हुई है जिसे महाविद्यालय को अन्य कार्य मदों पर व्यय करने हेतु प्राधिकृत भी नहीं किया गया है। अतः ₹779028.99/- के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक निर्देश प्राप्त करके तथा शेष पड़ी राशियों का प्रयोग तदानुसार ही किया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में इस प्रकार की शेष बची राशि के प्रयोग हेतु भी आवश्यक स्पष्ट निर्देश प्राप्त किये जाऐ।

(ii) हि॰ प्र॰ सरकार के पत्र संख्या EDN-A-Kha(8)-1/2001 दिनांक 01/06/2010 द्वारा हिमाचल प्रदेश के सभी महाविद्यालय के प्रधानाचार्यो को निर्देश दिये गए थे कि विश्वविद्यालय चार्जिस की वसूली विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय-2 पर निर्धारित चार्जिस के अनुसार की जानी अपेक्षित थी । महाविद्यालय द्वारा इन चार्जिस की वसूली निम्नानुसार की गई थी परन्तु अंकेक्षण के दौरान बार-2 मांगे जाने के बावजूद विश्वविद्यालय द्वारा जारी इन चार्जिस के

निर्धारण से सम्बन्धित कोई पत्र/अधिसूचना अंकेक्षण के मनन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। इस कारण इन चार्जिस की वसूली विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही की जा रही है इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: इस बारे स्थित स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित दस्तावेज विश्वविद्यालय से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाए ताकि इनकी वसूली ठीक दर पर की जा रही थी इस तथ्य की पुष्टि की जा सके। साथ ही लेखों का रख रखाव इस प्रकार किया जाना सुनिश्चित किया जाए कि विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त चार्जिस का छात्रों की संख्यां के आधार पर मिलान किया जाना सम्भव हो सके ।

वर्ष	**Univ. Home fund**	**Univ. sports fee**	**Univ. registration fee**	**youth welfare fund**	**Univ.Examination fee**
2012-	2/- प्रति छात्र	20/- प्रति छात्र	10,20 तथा 30/- प्रति छात्र	15/-	260 तथा 280/- प्रति छात्र
2013-	2/- प्रति छात्र	15/- प्रति छात्र	10,20 तथा 30/- प्रति छात्र	15/-	260 तथा 280/- प्रति छात्र
2014-	2/- प्रति छात्र	15/- प्रति छात्र	30/- प्रति छात्र	15/-	------------
2015-	2/- प्रति छात्र	15/- प्रति छात्र	200/-	15/-	-----------

17 विश्वविद्यालय विकास चार्जिस बारे:-

हि॰ प्र॰ विश्वविधयालय के नस्ति संख्या 5-25/2013 -हि॰प्र॰वि०(शै) दिनांक 15/10/2014 द्वारा हिमाचल प्रदेश के सभी महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिये गए थे कि प्रत्येक छात्र से विश्वविद्यालय विकास चाजिस की वसूली ₹500/- वार्षिक तथा IRDP आई0आर0डी0पी0 व बी0 पी0 एल0 BPL के छात्रों से ₹250/- वार्षिक की दर से की जाए। आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि महावि द्यालय द्वारा वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान यह वसूली मु॰ 500/- र॰ प्रति छात्र की दर से की गई थी जबकि आई0आर0डी0पी0 तथा बी0 पी0 एल0 BPL छात्रों से यह वसूली ₹250/- की दर से की जानी अपेक्षित थी। यह असम्भव है कि इस अवधि के दौरान महा विद्यालय में आई0आर0डी0पी0 तथा बी 0 पी0 एल0 से सम्बन्धित कोई भी छात्र न रहा हो और यदि कोई छात्र आई0आर0डी0पी0 तथा बी0 पी0 एल0 से सम्बन्धित नही भी है तो उस स्थिति में निम्नानुसार ₹667500/- की वसूली कम की गई प्रतीत होती है। अत: IRDPआई0आर0डी0पी0 तथा बी0 पी0 एल0 के छात्रों से निर्धारित दर पर वसूली न किये जाने बारे तथा निम्नानुसार ₹667500/- कम वसूली किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट

की जाए तथा इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

वित्त वर्ष	**महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार छात्र /छात्राओं की संख्यां परिशिष्ट "ग"**	**परिशिष्ट "क" के अनुसार वित्त वर्ष के दौरान निधि के अंतर्गत प्राप्ति राशि (ब्याज की राशि छोड़ कर)**	**छात्र छात्राओं की संख्यां के अनुसार जितनी राशी वसूल की जानी अपेक्षित थी (छात्र /छात्राओं की संख्यां x फंड का रेट)**	**जितनी राशि कम प्राप्त की गई**
2014-15	3514	1094000/-	1757000/- (3514x500)	663000/-
2015-16	3436	1713500/-	1718000/-(3436x500)	4500/-
			कुल योग	**667500/-**

18 विलम्ब प्रवेश शुल्क की वसूली सम्बन्धी अनियमितताओं बारे:-

हि॰ प्र॰ सरकार के पत्र संख्या EDN-A-Kha(8)-1/2001 दिनांक 01/06/2010 के निर्देशानुसार तय अंतिम तिथि के पश्चात दाखिला लेने वाले छात्र/छात्राओं से ₹10/- विलम्ब शुल्क की वसूली की जानी अपेक्षित है। महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान माह जून में वसूले गए विलम्ब प्रवेश शुल्क से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "च"")** के अनुसार प्रत्येक वर्ष 20 जून के पश्चात प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं से विलम्ब प्रवेश शुल्क की वसूली की जाती है परन्तु **(परिशिष्ट "च"")** के अनुसार 20 जून के पश्चात कई तिथियों को प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं से विलम्ब प्रवेश शुल्क की वसूली नही की गई थी। साथ ही विलम्ब शुल्क की वसूली विभिन्न दरों पर की जा रही थी। उपरोक्त स्थिति केवल माह जून से सम्बन्धित है तथा आगामी माहों में भी यह अनियमितता जारी हो इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अत: उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 चालानों का सरकारी कोष के साथ मिलान न करना:-

अंकेक्षण के दौरान प्राप्त प्रवे श शुल्क, पुनः प्रवे श शुल्क, शिक्षण शुल्क आदि से प्राप्त राशियों को विभिन्न चालानों के द्वारा सरकारी कोष में जमा करवाया गया परन्तु महाविद्यालय द्वारा समय-2 पर जमा करवाई गई इन राशियों का सम्बन्धित कोष कार्यालय से जमा सम्बन्धी विवरण प्राप्त करके मिलान नहीं किया गया जा रहा है जिससे जमा करवाई गई राशियों की पुष्टि नहीं हो पाई। अत: सरकारी कोष के साथ मिलान न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवश्यक कार्यवाही करके इस विभाग को अवगत करवाया जाए। भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

20 विज्ञान निधि में से ₹80/- का अधिक भुगतान बारे:-

दिनांक 25/07/13 (रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां 6) प्रेक्टिकल करवाने हेतु ₹3000/- की अग्रिम राशि सम्बन्धित कर्मचारी को दी गई थी। इस राशि के समायोजन की पड़ताल के दौरान पाया गया कि 7 थैले खाद के ₹80 प्रति थैला की दर से क्रय हेतु ₹560/- के स्थान पर ₹640/- का भुगतान किया गया था। इस प्रकार ₹80/- (640-560) का अधिक भुगतान किया गया था। अत: उपयुक्त स्त्रोत से ₹80/- वसूली करके विज्ञान निधि में जमा करवा के कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

21 कैम्पस डिवेलपमेंट फण्ड में से ₹383/- के अनियमित व्यय बारे:-

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि माह 03/13 में ₹1932/- का भुगतान किया गया था। इस भुगतान में एक ₹383/- का वाउचर संलग्न था परन्तु इस वाउचर पर न तो क्रय की गई वस्तु का विवरण दर्ज था तथा न ही चर्चा उपरान्त इस बारे स्थिति स्पष्ट की गई। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹383/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

22 मिश्रित निधि में से ₹1000/- दरी चार्जिस के अधिक भुगतान बारे:-

माह 09/15 ₹55000/- में दी गई अग्रिम राशि के समायोजन की पड़ताल के दौरान पाया गया कि बिलासपुर में आयोजित यूथ फेस्टिवल के दौरान दरी चार्जिस का भुगतान दिनांक 09 से 13/10/15 तक दो बार किया गया था जबकि इस अवधि के दौरान दरी चार्जिस एक बार ही देये थे। इस बारे चर्चा के दौरान कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹1000/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

23 ₹100/- दरी चार्जिस का अधिक भुगतान किये जाने बारे:-

माह 09/15 ₹80,000/- (मिश्रित निधि) में दी गई अग्रिम राशि के समायोजन की पड़ताल के दौरान पाया गया कि हमीरपुर में आयोजित यूथ फेस्टिवल के दौरान दरी चार्जिस का भुगतान 1250/- [750(रसीद संख्यां 007 दिनांक 23/09/15)+500(दिनांक 008 दिनांक 23/09/15)] देय बनता था जबकि समायोजन में ₹1350/- दर्शाए गए थे फलस्वरूप ₹100/- अधिक व्यय दर्शाया गया था। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹100/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

24 कम्प्यूटर निधि में से ₹250/-- के अधिक भुगतान बारे:-

महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध कारवाई गई जानकारी के अनुसार कम्प्यूटर की कक्षाओं में पढाने हेतु UGC की पत्र संख्यां F(2)-9/97(PS) दिनांक 27/03/2001 में निर्धारित दर के आधार पर Guest faculty की सेवायें ली जाती है। पत्र में निर्धारित सीमा के अनुसार प्रवक्ता को प्रति लेक्चर ₹250/- तथा माह में अधिकतम ₹3000/- का भुगतान किया जा सकता है। परन्तु सिमी साहनी को माह 09/15 (कम्प्यूटर निधि) में माह 08/14 हेतु ₹3250/- का भुगतान किया गया था जोकि निर्धारित सीमा से ₹250/- (3250-3000) अधिक था। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹250/- की उपयुक्त स्त्रोत से वसूली करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

25 ₹260/- का अधिक अनुचित भुगतान किये जाने बारे:-

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि trophies के क्रय हेतु निम्नानुसार ₹260/- का अधिक भुगतान किया गया था। अत: इस बारे स्थित स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹260/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

माह	**फंड का शीर्ष**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां**	**वाउचर की राशि**	**क्रय की गई वस्तु / मात्रा**	**रेट जिसके आधार पर भुगतान किया गया।**	**राशि**	**तूलनात्मक विवरणी के अनुसार वस्तु की अनुमोदित दर**	**राशि**	**अधिक किया गया भुगतान**
03/13	मिश्रित निधि	19	6650/-	Round Trophy (m) / 2 No.	800/-	1600 (800x2)	720/-	1440/- (720x2)	160/-
				Round Trophy (b) / 1 No.	900/-	900/-	800/-	800/-	100/-

26 बस किराये/टैक्सी चार्जिज के रूप में किये गये अनुचित भुगतान बारे:-

मिश्रित निधि तथा खेल कूद से किए गए व्यय की जांच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं द्वारा की जाने वाली यात्रायें हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन की बसों द्वारा न करके प्राईवेट बसों /टैक्सी द्वारा की जा रही थी। हिमाचल प्रदेश सरकार से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार छात्र-छात्राओं द्वारा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों द्वारा यात्रा करने पर 50 प्रतिशत की छूट बस किराये के रूप में प्रदान की जाती है परन्तु महाविद्यालय द्वारा उक्त सुविधा का लाभ प्राप्त न करके निम्नानुसार बस किराये/टैक्सी चार्जिज के रूप में ₹35272/- का भुगतान निधि से किया गया है। अंकेक्षण में यह बताया गया कि प्राईवेट बस /टैक्सी द्वारा की गई यात्रायें सचिव (एच0पी0यू0एस0एंड सी 0ए0सी0) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के द्वारा पत्र संख्या 5/96-95

एच0पी0यू0/स्पोर्टस-(एजीएम)-203 दिनांक 21.10.2010 द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए की गई है परन्तु जिला मुख्यालय में स्थित होने के कारण 50% छूट प्राप्त करना सोलन महाविद्यालय के लिए कठिन नहीं है तथा लगभग ₹17636/- (₹35272 का 50%) के अनुचित व्यय से बचा जा सकता था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा किये गए अधिक/अनुचित भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

माह	**फंड का शीर्ष**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां/ वाउचर की राशि**	**प्राइवेट बस/ टैक्सी को किया गया भुगतान**	**विवरण**
09/15	स्पोर्ट्स फण्ड	47/22250/-	4000/-	सोलन से उना तथा वापिस
09/15	स्पोर्ट्स फण्ड	47/21800/-	2080/-	सोलन से शिमला तथा वापिस सोलन
09/15	मिश्रित निधि	81/32000/-	5928/-	सोलन से करसोग तथा वापिस
09/15	मिश्रित निधि	82/80000/-	9234/-	सोलन से हमीरपुर तथा वापिस
09/15	मिश्रित निधि	82/55000/-	4030/-	सोलन से बिलासपुर तथा वापिस
09/15	स्पोर्ट्स फण्ड	47/27100/-	10000/- (टैक्सी)	चम्बा से पांगी तथा वापिस चम्बा
		कुल योग	**35272/-**	

27 मिश्रित निधि में से ₹3450/- की अन्य निधियों से सम्बन्धित राशियों को अनुचित रूप से प्रेषित करना:-

व्यय की पड़ताल की दौरान पाया गया कि छात्र/छात्राओं के सत्र के दौरान एक महाविद्यालय से दूसरे महा विद्यालय में प्रवेश लेने पर उनके द्वारा जमा की गई विभिन्न निधियों से सम्बन्धित राशियों को भी सम्बन्धित महाविधयालय में प्रेषित कर दिया जाता है। परन्तु महाविधयालय द्वारा इन प्रकरणों में राशियाँ प्रेषित करते समय इनका प्रेषण सम्बन्धित निधियों से न करके केवल मिश्रित निधि से किया गया था जोकि अनुचित है। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा निधियों जिन से सम्बन्धित राशियाँ भी मिश्रित निधि में से प्रेषित की गई थी उन निधियों में से उतनी उतनी राशियाँ मिश्रित निधि में जमा करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए। इस सम्बन्ध में कुछ प्रकरण निम्नलिखित है:-

माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	दुसरे महाविधयालय को मिश्रित निधि में से प्रेषित की गई कुल राशि	कुल प्रेषित राशि में से मिश्रित निधि से सम्बन्धित जितनी राशि देये थी	अन्य निधियों से सम्बन्धित राशि जोकि मिश्रित निधि में से प्रेषित की गई थी
07/13	26	980/-	300/-	680/-
07/13	27	1780/-	300/-	1480/-
07/13	27	1440/-	150/-	1290/-
			कुल योग	**3450/-**

28 सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना एक निधि से दूसरे निधि में राशियाँ हस्तान्तरण करना:-

अंकेक्षण के दौरान व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नानुसार ₹890050/- ऋण के रूप में एक निधि से दूसरे निधि में बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के हस्तांतरित किये गये थे। अत: बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के एक निधि से निधि दूसरे में राशि हस्तांतरित किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट किये जाने के साथ-2 अब सम्बन्धित निधियों में इन राशियों को वापिस जमा करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

माह	निधि का नाम	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	राशि	जिस निधि में हस्तांतरित की गई
03/2013	हि0प्र0 विश्वविद्यालय निधि	109	681010/-	मिश्रित निधि को की गई ऋण की वापसी
10/13	पुस्तकालय प्रतिभूति निधि	129	209040/-	खेल निधि को हस्तांतरित की गई राशि
		कुल योग	**890050/-**	

29 भुगतान के विरूद्ध पावतियां प्रस्तुत न करना:-

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्न भुगतानों के विरूद्ध वास्तविक प्राप्ति पावतियाँ अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई थी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सम्बन्धित

पावतियाँ अब प्राप्त करके उन्हें आहरण एवं वितरण अधिकारी से सत्यापित करवाके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

माह	निधि का शीर्ष	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	राशि	विवरण
09/15	Hostel security refund fund	205	1500/-	सोनल मेहता को security refund
03/13	campus develpoment fund	163	22400/-	नोटिस बोर्ड का क्रय

30 क्रय सम्बन्धी अनियमितताओं बारे:-

(i) बिना निविदाएँ (Quotation) आमंत्रित किये क्रय किये जाने बारे:-

व्यय की पड़ताल के दौरान यह प्रतीत हुआ कि निम्नलिखित प्रकरणों में वस्तुओं के क्रय से पूर्व निविदाएँ आमंत्रित नही की गई थी क्योंकि अंकेक्षण द्वारा कई बार आग्रह करने के बाद भी यह अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार (वित् विभाग) (रेगुलेशन) की अधिसूचना संख्या फिन (सी)ए(3) 5 /2005, शिमला-171002 दिनांक 12.8.09 के नियम 98 के निर्देशानुसार ₹3000/- से अधिक मुल्य की वस्तुओं का क्रय निविदाओं के आधार पर ही किया जाना अपेक्षित था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इस व्यय को नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में वस्तुओं का क्रय नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	दिनांक	राशि (र०)	विवरण	टिप्पणी
मिश्रित निधि	20	28/3/13	7464/-	बिजली के समान से सम्बन्धित क्रय हेतु किया गया भुगतान	निविदाएँ नहीं दर्शाई गई।
	81	11/9/15	3428/-	बिजली के समान से सम्बन्धित क्रय हेतु किया गया भुगतान	यथोपरि
स्पोर्ट्स फण्ड	47	4/9/15	27100/-	चेस प्रतियोगिता हेतु प्रदान की गई ₹27100/- की अग्रिम राशि।	अग्रिम राशि में से ₹10000/- का व्यय छात्रों को चंबा से पांगी महाविद्यालय तक टैक्सी द्वारा ले जाने हेतु किया

गया था। परन्तु टैक्सी किराए पर लेने हेतु टैक्सी यूनियन रेट या निविदाएँ नहीं दर्शाई गई ।

(ii) वस्तुओं के क्रय के दौरान अपनाई गई अपूर्ण/संदेहास्पद प्रक्रिया बारे:-

व्यय की पड़ताल के दौरान यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित प्रकरणों में क्रय तोड़ (split) कर की गई थी ताकि नियमानुसार क्रय सम्बन्धी औपचारिकताएं (codal formalities) पूर्ण करने से बचा जा सके जोकि अनुचित है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां**	**दिनांक**	**राशि (र०)**	**विवरण**	**टिप्पणी**
मिश्रित निधि	18	7/3/13	15000/-	महिला दिवस पर अग्रिम ₹15000/- में से ₹9708/- का व्यय	मिठाइयों आदि पर एक ही दुकानदार से ₹2925/- तथा ₹2660/- का व्यय किया गया था ।
	18	12/3/13	5000/- (3000+ 2000)	वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह	लाईट/साउंड एवं जनरेटर को किराए पर एक ही फर्म से लिया गया
	81	11/9/15	6251/- (3428+18 42+981)	बिजली के सामान की फिटिंग	एक ही फर्म से दो तीन तिथियों के अंतराल में करवाया गया कार्य

(iii) महाविद्यालय मैगजीन के मुद्रण कार्य में पाई गई अनियमितता बारे

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि महा विद्यालय द्वारा माह 09/15 में (रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां संख्यां 137, (मैगजीनfund निधि) ₹104000/- की मैगजींस मै0 महाजन प्रिंटिंग प्रैस से छपवाई गई थी। मैगजीन छपवाने हेतु जिन फर्मों से निविदाएँ मांगी गई थी उन फर्मों में राजधानी प्रिंटर्स सम्मिलित नहीं थी परन्तु प्राप्त हुई तीन निविदाओं में से एक निविदा राजधानी प्रिंटर्स, शिमला की थी। इस फर्म को इस कार्य हेतु किस प्रकार पता चला इस बारे चर्चा के दौरान कोई संतोषप्रद उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से इस अनियमितता को नियमित करवा के कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला को भेजी गई ₹3.49 लाख की रसीदें अभिलेख में न पाया जानाः-

महाविद्यालय के लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को ₹349000/- माह 09/15 में भेजी थी परन्तु सम्बन्धित रसीदें विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं की गई थी। यह प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है जिसके समर्थन में यह भी नहीं पाया गया कि यह राशि किस पत्र व ड्राफ्ट इत्यादि द्वारा भेजी गई है तथा इस सन्दर्भ में कोई भी रसीद अभिलेख में नहीं पाई गई। इस प्रकार महाविद्यालय द्वारा लाखों रूपयों की राशियाँ बिना रसीदों को प्राप्त किये ही प्रेषित कर देना अपने-आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व विश्वविद्यालय से आवश्यक रसीदे/प्रमाण पत्र प्राप्त करके अपेक्षित पुष्टि इस विभाग से करवाई जाए।

32 छात्र निधियों का अलग वर्गीकृत लेखा तैयार न करनाः-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा छात्रो से एकत्रित निम्न निधियों का वर्गीकृत लेखा तैयार न करके सीधे मिश्रित निधि तथा कम्प्यूटर तथा इन्टरनेट निधि में जमा कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक निधि की समय- 2 पर स्थिति स्वतः स्पष्ट नहीं होती। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस अनियमितता से अवगत करवाया गया था परन्तु इसके बावजूद अभी तक इस बारे अपेक्षित कार्यवाही नही की गई थी जोकि उचित नहीं है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं प्रत्येक निधि का वर्गीकृत लेखा स्वतः स्पष्ट रूप से तैयार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	निधि का नाम
1	संगीत प्रेक्टिकल निधि
2	कला प्रेक्टिकल निधि
3	भूगोल प्रेक्टिकल निधि

4	मनोविज्ञान निधि
5	दण्ड शुल्क निधि
6	पत्रकारिता निधि
7	गणित प्रेक्टिकल निधि
8	कम्प्यूटर प्रेक्टिकल निधि
9	शारीरिक शिक्षा प्रेक्टिकल निधि

33 निधि से अनधिकृत व्यय किये जाने बारे:-

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि महावि द्यालय द्वारा निम्नलिखित कुछ व्यय किए गए थे जोकि इन निधियों पर उचित प्रभार प्रतीत नही होते है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इस व्यय को नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

माह	**फंड का शीर्ष**	**कैश बुक पृष्ठ संख्यां**	**राशि (र०)**	**टिप्पणी**
05/14	मिश्रित निधि	48	14884/-	बिजली के बिलों का भुगतान
09/15	मिश्रित निधि	82	2304/-	टेलीफोन बिल का भुगतान

34 मुद्रण कार्य राजकीय मुद्रणालय शिमला से न करवाकर सीधे खुले बाजार से करवाया जानाः-

छात्र निधि लेखों की जांच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा पहचान पत्र व विभिन्न अन्य मुद्रण कार्य हिमाचल प्रदे श राजकीय मुद्रणालय शिमला से न करवाकर सीधे खुले बाजार से करवाया जा रहा था तथा बाजार से मुद्रण कार्य करवाये जाने से पूर्व कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त नहीं किया गया जोकि निम्नलिखित कुछ प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है। अतः मुद्रण का कार्य राजकीय मुद्रणालय से न करवाकर सीधे खुले बाजार से करवाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में मुद्रण का कार्य राजकीय मुद्रणालय से ही करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

फंड का शीर्ष	**माह**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां**	**फर्म का नाम**	**राशि (र०) /**	**टिप्पणी**
मिश्रित निधि	07/13	27	kapil Enterprises, Solan	81679/-	प्रॉस्पेक्टस की छपाई
पहचान पत्र	09/15	91	kapil Enterprises, Solan	23301/-	पहचान पत्र की छपाई

निधि					
मैगजीन निधि	09/15	137	Mahjan printing press, Solan	104000/-	मैगजीन की छपाई

35 बिजली के बिलों के भुगतान बारे:-

होस्टल इलेक्ट्रिसिटी फंड में से माह 09/15 में निम्नानुसार बकाया राशि सहित बिजली के बिलों का भुगतान किया गया था। बिलों की राशियों का पिछली बकाया राशियों सहित भुगतान किये जाने से यह प्रतीत होता है कि इनका भुगतान बिजली बोर्ड को निर्धारित अवधि के दौरान नही किया था जिस कारण इनमें पिछली बकाया राशियाँ भी सम्मिलित थी। इन बकाया राशियों में देरी शुल्क सम्मिलित होने की सम्भावना से भी इनकार नही किया जा सकता है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और यदि इन बिलों का भुगतान देरी शुल्क के साथ किया गया था तो उस देरी शुल्क की उपयुक्त स्त्रोत से वसूली करके तथा इस निधि में जमा करवा के कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में बिलों का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	दिनांक	बिल की राशि (र०)	बिल की राशि में सम्मिलित पिछली बकाया राशि (र०)
239	22/09/15	18992/-	9235/-
		14792/-	12353/-
		9383/-	4161/-
	कुल योग	**43167/-**	**25749/-**

36 यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ते के भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे:-

₹1118/- का दैनिक भत्ते के रूप में अधिक भुगतान

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि वित्त विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्यां Fin(C)-B(7)-1/2009 दिनांक 19/06/2012 में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था तथा प्रवास यात्रा के दौरान भी सामान्य दैनिक भत्तों का भुगतान किया जा रहा था जोकि अनियमित है। निम्नलिखित प्रकरणों में ₹1118/- दैनिक भत्ता का अधिक भुगतान किया गया था। अत: इस

बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹1118/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

माह	**निधि का शीर्ष**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां/वाउचर की राशि**	**नाम/प्रवास का विवरण**	**किया गया भुगतान**	**जितना भुगतान किया जाना चाहिए था**	**जितना भुगतान अधिक किया गया**
05/14	स्पोर्ट्स फण्ड	47/19660/-	श्री विजय/सोलन से सुंदरनगर	980/-	902/-	78/-
		47/20300/-	श्री सुनील/सोलन से आनी	1130/-	1052/-	78/-
		47/25400/-	अक्षय/सोलन से रिकांग पिओ	1316/-	1178/-	138/-
		47/21800/-	श्री सुनील/सोलन से नेरवा	1100/-	980/-	120/-
		47/22900/-	श्री विजय/सोलन से रोहरू	1204/-	1084/-	120/-
		47/27100/-	श्री सुनील/सोलन से चम्बा पांगी	1890/-	1734/-	156/-
09/15	मिश्रित निधि	82/80000/-	श्री राजीव/सोलन से हमीरपुर	1566/-	1410/-	156/-
		82/80000/-	अंजना कुमारी	1566/-	1410/-	156/-
		81/32000/-	श्री चमन/सोलन से करसोग	1536/-	1478/-	58/-
		81/32000/-	श्री रंजन/सोलन से करसोग	1536/-	1478/-	58/-
					कुल योग	**1118/-**

37 अग्रिम बारे:-

(i) ₹48900/- की असमायोजित अग्रिम बारे:-

महाविद्यालय द्वारा **परिशिष्ट "घ"** पर संलग्न उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार ₹48900/-(27100+21800) की अग्रिम राशियाँ असमायोजित दर्शाए गई थी तथा इनका समायोजन अंकेक्षण के दौरान दर्शा दिया गया था।

(ii) बाहरी व्यक्तियों को अग्रिम राशियाँ प्रदान किये जाने बारे:-

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा खेल कूद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने जा रहे छात्रों के साथ अल्पावधि के लिए बाहर से तैनात किये गये कोच को भेजा जा रहा था जोकि महाविद्यालय के कर्मचारी हैं ही नही। साथ ही उन्हें में खेल कूद प्रतियोगिताओं के दौरान विभिन्न खर्चे को वहन करने हेतु अग्रिम राशियाँ भी प्रदान की जा रही थी जोकि अनियमित है। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार हैं। अत: इस

बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	दिनांक	Coach का नाम जिसे अग्रिम राशि प्रदान की गई	अग्रिम राशि (रु०)
स्पोर्ट्स फंड	47	4/9/15	श्री सुनील कुमार	27100/-
	47	10/9/15	श्री विजय कुमार	22250/-
	47	10/9/15	श्री विजय कुमार	22900/-
	47	17/9/15	श्री सुनील कुमार	21800/-
	47	28/9/15	श्री विजय सिंह	25400/-
	47	28/9/15	श्री विजय सिंह	21800/-
	47	28/9/15	श्री सुनील कुमार	20300/-
	47	28/9/15	श्री विजय सिंह	19660/-

(iii) अग्रिम राशियों में से शेष बची राशियों को विलम्ब से वापिस जमा करना:-

महाविद्यालय द्वारा खेल कूद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने जा रहे छात्रों के खर्चे वहन करने हेतु साथ जा रहे प्रभारियों को अग्रिम राशियाँ प्रदान की जाती हैं तथा इसी प्रकार अन्य उदेश्यों हेतु भी अग्रिम राशि प्रदान की जाती है। प्रतियोगिताओं के उपरान्त/उदेश्य पूर्ण होने पर अग्रिम राशियों में से शेष बची राशियाँ सम्बन्धित प्रभारियों द्वारा वापिस जमा करवा दी जाती हैं। परन्तु यह पाया गया कि शेष बची राशियाँ सम्बन्धित निधि में काफी विलम्ब से जमा करवाई जा रही हैं जोकि नियमों के प्रतिकूल है। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार हैं। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा विलम्ब से वापिस जमा करवाई गई इन राशियाँ पर दंड ब्याज की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	दिनांक	अग्रिम राशि दिए जाने का उद्देश्य	अग्रिम राशि	व्यय की गई राशि	शेष राशि	जिस तिथि को प्रतियोगिता समाप्त हुई	जिस तिथि को शेष बची राशि वापिस जमा करवाई गई
स्पोर्ट्स फंड	47	4/9/15	यथोपरि	27100/-	23701/-	3399/-	14/9/15	04/11/15 तथा 17/09/16
	47	10/9/15	यथोपरि	22900/-	18534/-	4366/-	23/9/15	23/03/16
	47	17/9/15	यथोपरि	21800/-	18397/-	3403/-	26/9/15	17/09/16

	47	17/9/15	यथोपरि	25300/-	21813/-	3487/-	24/9/15	23/03/16
	47	28/9/15	यथोपरि	25400/-	15530/-	9870/-	3/10/15	28/10/15
	47	28/9/15	यथोपरि	21800/-	14330/-	7470/-	2/10/15	22 तथा 29/03/16
	47	28/9/15	यथोपरि	19660/-	15097/-	4563/-	7/10/15	29/03/16
मिश्रित निधि	82	22/9/15	ग्रुप फॉर थियेटर	80000/-	70086/-	9914/-	28/9/15	28 तथा 30/10/15
	82	30/9/15	ग्रुप टू थियेटर	55000/-	40455/-	14545/-	13/10/15	28/10/15 तथा 04/11/15
	27	18/7/13	रजिस्ट्रेशन कार्य हेतु ।	7000/-	7000/- (रजिस्ट्रेशन कार्य हेतु)	--------	------	छात्रों से रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹7000/- एकत्रित करके साथ-2 जमा न करके दिनांक 19/2/14 को इकठ्ठा जमा किया गया ।

38 स्टोर/स्टोक बारेः-

अंकेक्षण के दौरान स्टोर /स्टोक से सम्बन्धित अभिलेख के रख-रखाव में निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः-

(i) सम्बन्धित स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ न दर्शाए जाने बारेः-

अंकेक्षण के दौरान कई बार मौखिक तथा लिखित रूप से आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित क्रय की गई वस्तुओं तथा बिलों के भुगतान से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ स्टोर/ स्टॉक रजिस्टर में नहीं दर्शाई गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। यह भी पाया गया कि क्रय की गई कई वस्तुओं की भंडारण प्रविष्टियाँ सम्बन्धित रजिस्टर्स में नही की गई थी। निम्नलिखित प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित अन्य मासों में क्रय की गई वस्तुओं की प्रविष्टयाँ भी रजिस्टर्स में न की गई हो इस सम्भावना से भी इनकार नही किया जा सकता है। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 अब नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख का अनुरक्षण करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत कि या जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां**	**दिनांक**	**राशि (र०)**	**विवरण**
मिश्रित निधि	18	15/3/13	160/-	स्टेशनरी से सम्बन्धित वस्तुएं
	18	15/3/13	703/-	यथोपरि
	19	16/3/13	130/-	स्टैम्प
	19	20/3/13	1400/-	मुमेंटों

	19	21/3/13	84349/-	पुस्तकें
	19	23/3/13	6650/-	मुमेंटों
	19	23/3/13	22575/-	मुमेंटों
	20	23/3/13	1200/-	मुमेंटों
	20	23/3/13	15225/-	प्रमाण पत्र की छपाई
	20	26/3/13	640/-	मुमेंटों
	20	26/3/13	2100/-	मुमेंटों
	20	28/3/13	2900/-	विभिन्न वस्तुएं
	20	28/3/13	557/-	फिजिक्स रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं दर्शाई गई ।
	26	5/7/13	1571/-	स्टेशनरी सम्बन्धी वस्तुएं
	28	27/7/13	1300/-	प्रिंटर रिफिलिंग
	48	6/5/14	1888/-	रेम्प बोर्ड फॉर पोलिंग स्टेशन
हाउस एक्साम फंड	79	05/14	198335/-	उत्तर पुस्तिकाओं की छपाई ।
NCC फंड	30	15/03/13	553/-	स्टेशनरी ।
कम्प्यूटर फंड	98	24/07/13	1000/-	कम्प्यूटर की रिपेयर ।
कैम्पस डिवेलपमेंट फंड	163	15/03/13	22400/-	नोटिस बोर्ड का क्रय ।
साइंस फंड	2	20/03/13	46590/-	बिल में विभिन्न वस्तुओं के साथ 100 ml के 30 बीकर क्रय किये गये थे परन्तु स्टॉक में केवल 20 ही लिए गये थे। इस प्रकार 10 बीकर स्टॉक में कम लिए गए थे।

(ii) स्टोर/स्टोक तथा अन्य विभिन्न रजिस्टरों को Inventory Register में दर्ज न किये जाने बारे

विभिन्न रजिस्टरों की पड़ताल करने पर पाया गया किसी भी रजिस्टर को मुख्य स्टोर से जारी करते समय Inventory Register में दर्ज नही किया गया था जोकि नियमानुसार किया जाना अनिवार्य है ताकि महाविद्यालय में प्रयोग में लाये जा रहे विभिन्न रजिस्टरों की सत्यता प्रमाणिक की जा सके तथा महाविद्यालय प्रयोग में लाये जा रहे सभी रजिस्टरों की सही जानकारी प्राप्त हो सके। अतः महाविद्यालय के सभी रोकड़ बहियों, स्टोर/स्टोक रजिस्टरों तथा अन्य विविध रजिस्टरों को Inventory Register में दर्ज कर के तथा उन पर Inventory no .लिख कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(iii) स्टोर/स्टोक का भौतिक सत्यापन (physical verfication) न करवाए जाने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचनाओं द्वारा तथा मौखिक रूप से कई बार स्टोर स्टोक/के भौतिक सत्यापन करवाए जाने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। इससे यह प्रतीत होता है कि नियमानुसार नियमित रूप सेस्टोर/स्टोक का भौतिक सत्यापन ही नही करवाया जा रहा है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग विनियम शाखा की अधिसूचना संख्या फिन (सी)ए (3)5 /2005 शिमला-171002 दिनांक 12.8.09 के नियम 140 तथा 141 में दिए गए निर्देशों तथा प्रक्रिया के अनुसार प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येक वर्ष में एक बार किया जाना अनिवार्य है। इसके अभाव से न तो स्टोर/स्टोक में उपलब्ध उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का बोध होता है तथा न ही विभिन्न अनुपयोगी वस्तुओं का समय पर नियमानुसार निस्तारन किया जा सकता है। अतः उपरोक्त अनियमितता के कारण स्पष्ट करने के साथ इस विषय में कृत आवश्यक कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टोक का भौतिक सत्यापन नियमानुसार नियमित रूप से करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

(iv) विभिन्न स्टोर/स्टॉक/स्टेशनरी से सम्बन्धित वस्तुओं की प्रविष्टियाँ एक ही रजिस्टर में बिना मदवार करना तथा अन्य स्टोर/ स्टॉक रजिस्टर्स के रख रखाव में अनियमितताओं बारे:-

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय विभिन्न स्टोर/ स्टॉक तथा स्टेशनरी से सम्बन्धित वस्तुओं की प्रविष्टियाँ सामान्य स्टॉक रजिस्टर में की जा रहीं हैं । यह रजिस्टर स्टोर/स्टोक रजिस्टर कम तथा बिल रजिस्टर अधिक प्रतीत होता है क्योंकि वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित पूरे बिल्स की प्रविष्टियाँ मदवार न करके इकट्ठी की जा रही हैं। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टोक तथा स्टेशनरी से सम्बन्धित वस्तुओं की प्रविष्टियाँ मदवार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि अभिलेख की सही स्थिति परिलक्षित हो सके।

(ख) महाविद्यालय द्वारा छपवाई गई मैगजीन तथा पहचान पत्रों की सम्बन्धित रजिस्टर में प्रविष्टियों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रजिस्टर्स यह कहीं भी नही दर्शाते हैं कि छपवाए गए मैगजीन तथा छात्रों के पहचान पत्र कब-2 विभिन्न तिथियों को कितने-2 बाँटें गए तथा कितने शेष थे जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे चर्चा के दौरान भी कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया। इसी प्रकार प्रिंटिंग रजिस्टर (पृष्ठ संख्यां 150) भी प्रॉस्पेक्टस की छपवाई, उनके विक्रय तथा शेषों बारे सही स्थिति नहीं दर्शाता हैं। अभिलेख का रख रखाव इस प्रकार किया जाना चाहिए कि किसी भी वस्तु की क्रय की गई मात्रा, उसकी इस्तेमाल की गई मात्रा तथा शेष मात्रा बारे स्थिति अभिलेख में की गई प्रविष्टियों से स्वयं स्पष्ट हो सके जोकि

नहीं किया जा रहा है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान छपवाए गए प्रॉस्पेक्टस, मैगजीन तथा पहचान पत्र, उनके विक्रय/वितरण तथा शेषों बारे वर्षवार स्थिति तैयार करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में अभिलेख का सही रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अंकेक्षण के समय यह भी पाया गया कि प्रिंटिंग रजिस्टर के पृष्ठ संख्यां 150 पर वर्ष 2012-13 में 408 प्रॉस्पेक्टस का शेष दर्शाया गया था जिससे यह प्रतीत होता है कि इतने प्रोस्पेक्टस की बिक्री ही नहीं हुई थी। अत: यह सुझाव भी दिया जाता है कि प्रॉस्पेक्टस, मैगजीन तथा पहचान पत्र की छपवाई भी योजनाबद्ध तरीके से आवश्यकतानुसार करवाई जानी सुनिश्चित की जाए ताकि अपव्यय से बचा जा सके।

(ग) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि महा विद्यालय द्वारा खेल कूद प्रतियोगिताओं/यूथ फेस्टिवल/विभिन्न समारोह आदि पर आय व्यय की प्रविष्टियाँ किसी भी रजिस्टर में नहीं की जा रही थी केवल अग्रिम रजिस्टर में अग्रिम राशि, कुल व्यय तथा शेष राशि बारे स्थिति दर्शाई जा रही थी। अत: यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में खेल कूद प्रतियोगिताओं/यूथ फेस्टिवल/विभिन्न समाहरोह में आये व्यय के अभिलेख हेतु वर्षवार रजिस्टर का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इनके आयोजन के दौरान क्रय की गई स्टोर/ स्टॉक से सम्बन्धित वस्तुओं की प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टोर/ स्टॉक रजिस्टर्स में की जानी तथा उनका निस्तारण नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

विविध:-

39 पुस्तकालय प्रतिभूति बारे:-

(i) अंकेक्षण के दौरान बार-2 आग्रह करने पर भी पुस्कालय प्रतिभूति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस से यह प्रतीत होता है की इस रजिस्टर का रख रखाव ही नही किया जा रहा है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आगामी अंकेक्षण पर इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद अंकेक्षण अवधि के दौरान कालातीत तथा जब्त की जा चुकी लाईब्रेरी प्रतिभूतियों का विवरण प्रस्तुत नही किया गया। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा समस्त कालातीत लाईब्रेरी प्रतिभूतियों का विवरण तैयार करके इस राशि को जब्त किया जाए व निर्देशानुसार इसका उपयोग भी किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

40 लाइब्रेरी पुस्तकों के देरी से वापिस करने पर छात्र/छात्राओं से प्राप्त दंड शुल्क के अनुपस्थित दंड निधि में जमा किये जाने बारे सूचना उपलब्ध न करवाना:-

अंकेक्षण अवधि के दौरान (04/12 से 03/16) लाइब्रेरी पुस्तकों के देरी से वापिस करने पर छात्र छात्राओं से दंड शुल्क के रूप में प्राप्त राशि की अनुपस्थिति दंड निधि में जमा किये जाने बारे महावि द्यालय द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आगामी अंकेक्षण पर इस जानकारी का प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त इस दंड शुल्क का अनुप स्थिति दंड निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित की जाए ।

41 अभिलेख में होस्टल प्रतिभूति की प्राप्ति की प्रविष्टि न दर्शाए जाने बारे:-

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि हॉस्टल प्रतिभूति रोकड़ बही के अनुसार कुमारी कल्पना को माह 07/13 में ₹1500/- (पृष्ठ संख्यां 183) होस्टल प्रतिभूति लौटाई गई थी परन्तु यह प्रतिभूति कब प्राप्त हुई थी इस से सम्बन्धित प्रविष्टि नहीं दिखाई गई जिस कारण लौटाई गई प्रतिभूति सही थी इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित प्रविष्टि आगामी अंकेक्षण पर दिखानी सुनिश्चित की जाए।

42 अभिलेख प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान कई बार लिखित तथा मौखिक रूप से आग्रह करने के पश्चात भी निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आगामी अंकेक्षण पर यह अभिलेख पस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

माह	**रोकड़ बही**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां**	**राशि (र०)**	**विवरण**
07/13	पहचान पत्र निधि	91	18900/-	पहचान पत्र की प्रिंटिंग से सम्बन्धित औपचारिकताये नही दर्शाई गई
07/13	यथोपरि	91	6124/- के विरुद्ध किया गया 4401/- का भुगतान	यथोपरि
03/13	मिश्रित निधि	15 से 18	वाउचर संख्यां 160/12 से 203/12 तक	विभिन्न छात्रों को दिए गए पुरस्कारों से सम्बन्धित दर इत्यादि को न दर्शाना
03/13	यथोपरि	19	2500/-	अनुपस्थिति दंड की गणना हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित देय दर की प्रति
07/13	यथोपरि	27	2250/- (3माह x 750/-)	सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित देय दर ₹750/- प्रतिमाह)
05/14	यथोपरि	48	6750/-	यथोपरि

(9 माह x 750/-)

09/15 यथोपरि 82 3600/- भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख

43 दर सविंदा के आधार पर क्रय किये जाने बारे:-

हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सभी विभागों ,बोर्डों तथा निगम इत्यादि को अपने कार्यालयों की आवश्यकतों की वस्तुओं का क्रय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित रेट कंटरेक्ट/दर संविदाओं पर निर्धारित फर्मों से ही किया जाना अपेक्षित है तथा खुले बाजार से क्रय केवल उन्हीं परिस्तिथियों में की जा सकती है जबकि कोई वस्तु दर संविदा पर उपलब्ध न हो परन्तु ऐसे प्रकरणों में भी नियंत्रक, भण्डार क्रय, हिमाचल प्रदेश का अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित होता है। चयनित मासों में दर संविदा के आधार पर विभिन्न वस्तुओं का क्रय न के बराबर किया गया था तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं लिए जा रहे थे। अत: भविष्य में वस्तुओं का क्रय करते समय उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखा जाए।

44 निर्देशों की अनुपालना न किये जाने बारे :-

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि अधिकतम बिलों /कैश मैमों पर हिमाचल प्रदे श सरकार, फाईनैन्स (रेगुले शन) डिपार्टमैन्ट, अधिसूचना संख्या फिन (सी)ए(3) 5/2005, शिमला-171002 दिनांक 12.8.09 के नियम संख्या 97 तथा 98 में दिए गए निर्देशों की अनुपालना की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा कई बिलों पर अपेक्षित प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे थे। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियमों में दिए गए निर्देशों जैसे कि क्रय के दौरान आवश्यक प्रमाण पत्र देना, बिना निविदाओं के ₹3000/- तक के व्यय को वित्त वर्ष में निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर रखना आदि की नियमित रूप से अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए।

45 सेवायें लेने बारे:-

व्यय की पड़ताल के दौरान यह भी पाया गया कि महावि द्यालय द्वारा सफाई कर्मचारियों की सेवायें ली जाती हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि सफाई कर्मचारियों तथा अन्य की सेवायें लेते समय सरकार तथा वित्त विभाग द्वारा इस बारे समय-2 पर जारी दिशा निर्देशों का भी विशेष ध्यान रखा जाए तथा उनकी सेवायें सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने तथा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेने के बाद ही ली जानी सुनिश्चित की जाए।

46 **लघु आपत्ति विवरणिका**:- अलग से जारी नहीं की गई हैं।

47 **निष्कर्ष**:- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)सी15(xi)(iv) 33/78–खण्ड–7–2441–2444 दिनाँकः02.05.2017
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 उप सचिव (उच्चतर शिक्षा) हि0प्र0 शिमला–171002

2 निदेशक, शिक्षा (उच्चत्तर शिक्षा) विभाग हि0प्र0 शिमला–171001

3 उप–निदेशक, शिक्षा (उच्चत्तर शिक्षा) विभाग सोलन हि0प्र0

पंजीकृत 4 प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सोलन, जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881